न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र 60/20 (2020/00219)

1. राजूराम पुत्र हेमाराम जाति जाट निवासी नान्दोली तहसील मकराना (नागोर) हाल निवासी ग्राम नाडी तहसील सावर जिला अजमेर जरिये मुख्त्यार आम फर्म मैसर्स शिव सर्व मार्बल माइन्स, सावर तहसील सावर जिला अजमेर।

——प्रार्थी

♠ बनाम ♠

1. जानकीलाल पुत्र जगदीश लोधा जाति लोधा निवासी देवखेडा तहसील सावर
2. बाघमल पुत्र भंवरलाल जाति माली निवासी नाडी हाल घटियाली तहसील सावर जिला अजमेर
3. मानाराम पुत्र `जालमाराम जाति माली निवासी नाडी तहसील सावर हाल निवासी थांवला (नासिरदा) तहसील देवली जिला टोंक।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सावर जिला अजमेर

——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 क की उपधारा 1 राज.काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–

1. श्री हेमराज कानावत – वकील प्रार्थी
2. श्री शिवप्रसाद पाराशर – वकील अप्रार्थीगण

–:: आदेश ::–

दिनांक 27.10.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश किया कि ग्राम नाडी पटवार हल्का घटियाली की जमाबन्दी संवत 2073–76 में निम्नलिखित आराजी प्रार्थी की खातेदारी व कब्जेकाश्त का आराजी है।

विवरण आराजी

खाता नम्बर		खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
नया	पुराना			
724	719	1016	0.14	बारानी 1
117	149	1015	0.47	बारानी 1

यह आराजी फर्म मैसर्स शिव सर्व मार्बल माइन्स सावर के कब्जे व खातेदारी की आराजीयात है। उक्त फर्म का प्रार्थी रजिस्टर्ड मुख्त्यार आम नियुक्त हो रखा है। उक्त फर्म में प्रार्थी खातेदार एवं भागीदार है तथा न्यायालय संबंधी कार्यवाही हेतु प्रार्थी को फर्म की ओर से अधिकृत कर रखा है जिससे प्रार्थी को उक्त आराजी के हितार्थ एवं कृषि कार्य करने, उपभोग करने बाबत वाद/प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने का पूर्ण विधिक लोक स्टेण्डाई प्राप्त है।

उक्त आराजीयात में प्रार्थी को खनन कार्य हेतु मार्बल खनन पट्टा 82/2010 (पुराना एम.एल नम्बर 171ए/1989) ग्राम नाडी में स्वीकृत हो रखा है। उक्त आराजीयात में प्रार्थी कृषि कार्य करता है लेकिन आराजीयात में आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध नही है एवं वैकल्पिक रास्ता भी मौजूद नही है जिससे प्रार्थी को कृषि कार्य हेतु ट्रेक्टर लाने ले जाने में एवं आवागमन में अनेकानेक कठिनाईयां उत्पन्न हो रही है तथा रास्ता के अभाव में प्रार्थी कृषि कार्य करने तथा आराजी का उपयोग उपभोग करने से वंचित हो रहा है जिससे रास्ता कायम करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना लाजमी आया है।

उक्त प्रार्थी की आराजीयात की समीपस्थ [illegible] नम्बर 1014 रकबा 1.34 हैक्ट बा01 अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 की खातेदारी की [illegible] है, उसके पश्चात आराजी खसरा नम्बर 887 सरकारी आम रास्ता स्थित है [illegible] की आराजीयात में [illegible] प्रस्तावित

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Rancholi
Date: 2022.01.14 11:20:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

नक्शा ट्रेस में अंकित है के अनुसार अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 1014 में से करीब 20 फुट चौडाई का रास्ते की प्रार्थी को सुविधाजनक स्वभाविक एवं युक्तियुक्त आवश्यकता है। प्रार्थी नियमानुसार प्रतिकर राशि देने हेतु तैयार है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को दिनांक 15.08.2020 को उक्त प्रस्तावित रास्ता उपलब्ध करवाने का निवेदन किया तो अप्रार्थीगण ने इनकार कर दिया जिससे प्रार्थी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण उत्पन्न हुआ।

प्रकरण श्रवणाधिकार एंव क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया, जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थीगण की ओर से अभिभाषक श्री एस.पी.दाधीच व अन्य अभिभाषक द्वारा अभिभाषक पत्र पेश किया। प्रार्थी के वकील द्वारा आदेश 6 नियम 17 जाप्ता दीवानी सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में सहवन एवं भूल से आराजीयात में खनन कार्य करने एवं खनन कार्य हेतु आवागमन अंकन हो गया है जबकि मौके पर वर्तमान में प्रार्थना पत्र प्रस्तुती के समय कृषि कार्य ही किया जा रहा है। वाद वर्णित आराजी मे कोइ व्यवसायिक कार्य नही हो रहा है। इस प्रार्थना पत्र पर जवाब प्राप्त कर बहस सुनी जाने के उपरान्त दिनांक 19.07.2021 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र संसोधन करने के आदेश दिये गये। प्रार्थी वकील द्वारा संसोधन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अप्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी प्रस्तुत किया। प्रार्थी के अभिभाषक द्वारा इस प्रार्थना पत्र का जवाब नही देकर सीधे ही बहस की गई। यह प्रार्थना पत्र दिनांक 24.08.2021 को खारिज किया गया।

तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 09.02.2020 को प्रस्तुत की जिसके अनुसार ग्राम नाडी के आराजी खसरा नम्बर 1015 पर आने जाने के लिए रास्ता 887 में से होकर गुजरने वाला रास्ता है उक्त रास्ते से खसरा नम्बर 1014 में से होकर आने जाने में आसानी रहेगी वर्तमान में खसरा नम्बर 1014 में आधा हिस्सा तक रास्ता चालू है अतः इसी प्रस्तावित जगह से रास्ता दिया जाना उचित है। प्रार्थी के खेतो पर जाने के लिए ओर कोई विकल्प नही है अतः रास्ता दिया जाना उचित है। पक्षकार प्रतिकर की रकम या जमीन के बदले जमीन लेने पर सहमत नही है। आराजी खसरा नम्बर 1014 में से रकबा 0.09 हैक्ट की डीएलसी 231104 रूपये प्रति हैक्टर के अनुसार 0.09 हैक्ट की राशि 20799 रूपये होती है जिसकी दुगना 41598 रूपये होती है।

पक्षकारान के अभिभाषको द्वारा दिनांक 09.03.2021 की गई अपनी बहस में अप्रार्थीगण के लायक वकील ने वितर्क प्रस्तुत कर बताया कि प्रार्थीगणों की अनुपस्थिति में तहसीलदार सावर द्वारा मौका देखा गया है जो उचित नही है। प्रार्थी द्वारा खनन हेतु रास्ता चाहा जा रहा है जबकि 251 ए राज.काश्त अधि. के प्रावधानों के मुताबिक खातेदारी कृषि प्रयोजनार्थ ही रास्ता दिया जाना चाहिए। अप्रार्थी के अभिभाषक के कथनों से सहमत होकर तहसीलदार सावर से पुनः रिपोर्ट तलब की गई।

तहसीलदार सावर द्वारा पुनः मौका जांच रिपोर्ट उनके पत्र क्रमांक राजस्व/2021/831 दिनांक 23.04.2021 से प्रस्तुत की। मौका रिपोर्ट पक्षकारान की उपस्थिति में तैयार की गई। जांच रिपोर्ट के अनुसार ग्राम नाडी के खसरा नम्बर 1015 रकबा 0.47 वर्तमान में पडत भुमि है इसके लगवा खसरानम्बर 1014 रकबा 1.34 हैक्ट के 1/2 हिस्सा पर कृषि कार्य किया जा रहा है। अप्रार्थीगण खसरा नम्बर 887 के बाद खसरा नम्बर 1014 के 1/2 हिस्से पर अप्रार्थीगणों द्वारा तारबन्दी कर दिये जाने से प्रार्थी का खसरा नम्बर 1015 पर आने जाने का रास्त बंद है एवं भुमि पडत है। प्रार्थी के खसरा नम्बर 1015 से गैर मु. रास्ता खसरा नम्बर 887 पर पंहूचने के लिए खसरा नम्बर 1014 से प्रस्तावित रास्ता ही निकटतम दूरी का है। पक्षकार प्रतिकर रकम एवं जमीन के बदले जमीन पर भी रजामंद नही है।

ग्राम नाडी के खसरानम्बर 1015 रकबा 0.47 हैक्ट के उत्तर पश्चिम दिशा में खसरा नम्बर 1012 सिवायचक लगवा है जिसमें माइनिंग विभाग की लीज अनुसार खनन कार्य हो रहा है। खसरा नम्बर 1015 के पश्चिम दक्षिण में लगवा खसरा नम्बर 1014 स्थित है। खसरा नम्बर 1014 रकबा 1.34 हैक्ट खातेदार बाघमल पुत्र भंवरलाल हिस्सा 1/4, मानाराम पुत्र जालमाराम हिस्सा 1/4 जाति माली, जानकीलाल पुत्र जगदीश हिस्सा 1/2 जाति लोधा [illegible] दर्ज है। खसरा नम्बर 1014 में मौके पर कब्जा हिस्से अनुसार है परन्तु [illegible] है। खातेदार बाघमल पुत्र भंवरलाल व मानाराम पुत्र जालमाराम [illegible] के लगवा कृषि कार्य किया जा रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Rancholi
Date: 2022.01.14 11:20:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

खसरा नम्बर 1014 का शेष हिस्सा जो गै.मु.रास्ता 878 के लगवा है जिसमें खनन कार्य हो रहा है। खसरा नम्बर 1015 वर्तमान में पडत भुमि है जिस पर खनन कार्य नही हो रहा है एवं आने जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। मौका पर्चा प्रार्थी अप्रार्थी की उपस्थिति में तैयार किया गया। खातेदार बाघमल पुत्र भंवरलाल व मानाराम पुत्र जालमाराम जाति माली ने अपने हिस्से पर तारबंदी कर रखी है। जवाब और मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई।

प्रार्थी के लायक वकील ने अपनी बहस प्रारम्भ करते हुए प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराया तथा निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी खसरा नम्बर 1016 रकबा 0.14 किस्म बारानी1 खसरा नम्बर 1015 रकबा 0.47 हैक्ट बारानी1 में आवागमन कृषि कार्य करने, ट्रेक्टर लाने ले जाने हेतु अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 1014 रकबा 1.34 हैक्ट बारानी1 की मैड के सहारे प्रस्तावित एवं वांछित रास्ता 20 फुट चौडाई का रास्ता, सरकारी आम रास्ता खसरा नम्बर 887 से प्रार्थी की खातेदारी आराजी 1016 तक रास्ता अप्रार्थीगण की भुमि में से प्रार्थी को दिलाया जाकर रास्ते में आने वाली भुमि का कुल क्षेत्रफल का डीएलसी रेट जमा कराने हेतु तैयार है।

अप्रार्थी के लायक अभिभाषक ने वितर्क प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि प्रश्नगत आराजी कृषि भुमि नही है, राजस्व रिकॉर्ड में ही कृषि भुमि है, खनन पट्टा जारी हो रखा है, खनन हेतु आने जाने का मार्ग दिये जाने का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त नही है, अतः प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होकर खरिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राज.काश्त. अधि. का मय हर्जे खर्चे के खारिज किया जाना फरमावें।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया। खसरा नम्बर 1015 मैसर्स शिव सर्व मार्बल माइन्स सावर जरिये मुख्त्यार एवं भागीदारी राजूराम पुत्र हेमाराम जाट सा. नान्दोलीबास नागौर की खातेदारी में दर्ज है तथा खसरा नम्बर 1014 जानकीलाल पुत्र जगदीश हिस्सा 1/2, बाघमल पुत्र भंवरलाल हिस्सा 1/4, मानाराम पुत्र जालमाराम हिस्सा 1/4 जाति माली, सा. दे हके नाम दर्ज है जो कृषि प्रयोजनार्थ है, खनन हेतु उपयोग करने का कोई सबूत अप्रार्थीगण प्रस्तुत नही कर पायेंहै। अतः उनका कथन चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है। प्रार्थी को स्वयं की खातदेारी आराजी में आने जाने हेतु आराजी खसरा नम्बर 1014 में से 525 फीट लम्बई और 20 फीट चौडाई कुल रकबा रकबा 0.09 हैक्ट की डीएलसी 231104 रूपये प्रति हैक्टर के अनुसार 0.09 हैक्ट की राशि 20799 रूपये होती है जिसकी दुगना 41598 रूपये प्रतिकर राशि के रूप में प्रार्थी से वसूल कर अप्रार्थीगण को भुगतान करने की कार्यवाही तहसीलदार सावर द्वारा की जावे। तहसीलदार सावर उक्तानुसार रास्ते को सार्वजनिक रास्ते के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में अमल और नक्शे में तरमीम करने की कार्यवाही करें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी न्यायालय केकड़ी (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.14 11:20:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner